Principal

CRESCENT CONVENT SCHOOL
Dildar Nagar, Ghazipur

Secretary
Crescent Education Society
Dildar Nagar, Ghazipur U.P.

15। संस्था प्रबन्धक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों की दर से वेतन भत्ते अदा किये जायेंगे ।

16। शिक्षण कर्मचारियों की संख्या भी उनकी योग्यता और उनके सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य संख्या के अनुपात में उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमन्यता प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(धीराज सिंह)
संयुक्त सचिव ।

पृ०सं०-बी०आई०पी-26) 11/15-7-सह०दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर ।
4- निरीक्षक, अंग्रेजी, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, क्रिसेन्ट कान्वेंट स्कूल, दिलदारनगर, गाजीपुर ।
6- गार्ड बुक ।

भवदीय,

(अखिलेश चन्द्र गुप्त)
अनु सचिव ।

Principal
CRESCENT CONVENT SCHOOL
By Pass Road, Dildarnagar Ghazipur

Secretary
Crescent Education Society
Dildar Nagar, Ghazipur U.P.